न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 2019/12

1. श्रीमती गलखू पुत्री बालू धर्मपत्नी भूरा जाति जाट, निवासी ढाणी कूच्यावाली, ग्राम भांकरोटा, जिला जयपुर।
2. श्रीमती गोमा पुत्री बालू धर्मपत्नी लक्ष्मण जाति जाट, निवासी ग्राम हरीरामपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. अखेराम पुत्र बालू
4. गल्ली देवी पत्नी गल्लू
5. राजेश पुत्र गल्लू
6. मदन लाल पुत्र गोपी
7. लालाराम पुत्र गोपी

जाति जाट निवासीग्रण ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगाने, जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त।

–वादीगण

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)
2. सूजा राम पुत्री स्वर्गीय भूरा
3. श्रीमती नान्छी धर्मपत्नी स्वर्गीय भूरा

जाति जाट निवासीगण ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

4. श्रीमती चान्दू धर्मपत्नी स्वर्गीय हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त
5. केनरा बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. दी जयपुर सैन्ट्रलं कॉ–ओपरेटिव बैंक लि0, जरिये शाखा प्रबंधक बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] 88, 92 व एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:12:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांकः 30.03.2021

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादीगण की कब्जे काश्त एवं उपयोग की कृषि भूमि स्थित ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में जमाबंदी खतौनी सम्वत् 2035 अनुसार आराजी खसरा नंबर 27 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 52 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 62 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 381 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 382 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 393 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 394 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 395 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 396 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 397 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 398 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 401 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 402 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 428 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 487 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 488 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 489 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 505 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 513 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 514 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 518 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 524 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 525 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 24 कुल रकबा 61 बीघा 13 बिस्वा है। उपरोक्त आराजीयता वादीगण के पूर्वज बालू व गोपी के खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। वादीगण के पूर्वज बालू एवं गोपी पुत्रान् श्रीलाल द्वारा दिनांक 12.12.1978 को उपरोक्त ग्राम के उक्त खसरा नंबर 52 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 62 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 381 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 382 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 393 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 394 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 395 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 396 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 397 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 398 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 401 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 487 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 488 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 489 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 505 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 513 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 514 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 518 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 524 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 525 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 22 कुल रकबा 50 बीघा 17 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा जरिये

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:12:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

विक्रय पत्र प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के पूर्वज भूरा पुत्र कालू को विक्रय कर दी थी, जो विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजीयक सांगानेर, जयपुर के यहाँ पंजीयन क्रमांक 502 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 59 के पृष्ठ संख्या 125 पर दिनांक 12 जनवरी सन् 1979 ईस्वी को पंजीबद्ध हुआ है। तत्पश्चात् उपरोक्त ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के उक्त खसरा नंबर 52 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 62 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 381 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 382 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 393 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 394 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 395 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 396 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 397 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 398 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 401 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 402 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 428 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 487 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 488 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 489 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 505 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 513 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 514 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 518 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 524 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 525 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 22 कुल रकबा 50 बीघा 17 बिस्वा में से 1/3 हिस्से का राजस्व अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.07.1979 को नामान्तरण संख्या 148 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया था लेकिन नामान्तकरण से बनी जमाबंदी में राजस्व अधिकारियों की मेहरबानी से खाता संख्या 46 के खसरा नंबर 27 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी व खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी को वादीगण के पूर्वजों द्वारा बेचान नहीं करने के बावजूद भी शामिल करते हुये सम्पूर्ण खाते पर 1/3 का जमाबंदी सम्वत् 2035 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 3 के पूर्वज भूरा पुत्र कालू के नाम राजस्व अधिकारियों की मेहरबानी से इन्द्राज कर दिया, जो राजस्व अधिकारियों के द्वारा अहम कानूनी त्रुटि की गई है। नामान्तकरण संख्या 148 अनुसार बनी जमाबंदी में खाता संख्या 46 के खसरा नंबर 27 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी व खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी को वादीगण के पूर्वजों द्वारा बेचान नहीं करने के बावजूद शामिल करते हुये सम्पूर्ण खाते पर हिस्सा 1/3 का जमाबंदी सम्वत् 2035 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 03 के पूर्वज भूरा पुत्र कालू के नाम राजस्व अधिकारियों की मेहरबानी से

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:12:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

इन्द्राज कर दिया, जो राजस्व अधिकारियों के द्वारा अहम कानूनी त्रुटि की गई है। इसलिए वादीगण को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा। इसलिए वादीगण को अपने अधिकारों की घोषणा करना आवश्यक हुआ। भू–प्रबंध विभाग ने भू प्रबंध अवधि 01 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 तक के लिये वादीगण के खसरा नंबर 27 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा के वर्तमान नवीन खसरा नंबर 17 रकबा 1.14 हैक्टेयर किस्म पेटा तालाबी कायम किया और खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा के वर्तमान नवीन खसरा नंबर 28 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म डहरी कायम किया। जिसमें सेटलमेन्ट पूर्व में भूमि की किस्म बारानी थी उसको दौराने सेटलमेन्ट द्वारा खसरा नंबर 27 के नये खसरा नंबर 17 को पेटा तालाबी एवं खसरा नंबर 26/744 के नये खसरा नंबर 28 को किस्म डहरी गलत इन्द्राज कर दिया गया। जबकि वादीगण सेटलमेन्ट से पूर्व रकबा व कब्जे अनुसार काश्त कर रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत् 2035 की जमाबंदी में खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा इन्द्राज था जबकि दौराने सेटलमेन्ट नया खसरा नंबर 28 रकबा 0.50 हैक्टेयर गलत इन्द्राज कर दिया गया। सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शा ट्रेस में पुराना खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा की भू–प्रबंध विभाग के राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत तरमीम करने की वजह से हाले खसरा नंबर 28 का रकबा कम इन्द्राज है जो राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि के रूप में अंकन है राजस्व रिकॉर्ड में उक्त गलत इन्द्राज होने से वादीगण को भूमि का रकबा कम होने की क्षति पहुँची है। खसरा नंबर 47 में वादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा, वादीगण संख्या 04 लगायत 05 का 1/12 हिस्सा, वादीगण संख्या 06 लगायत 07 का 2/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा तथा खसरा नंबर 28 में वादीगण संख्या 01 लगायत 07 एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 2/3 हिस्सा जिसमें प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा अपने हिस्से का बेचान किया जा चुका है। जो वर्तमान में अभिलिखित खातेदार हैं। भू–प्रबंध विभाग द्वारा अवधि 01 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 तक [illegible] वादीगण की भूमि कि किस्म का गलत इन्द्राज कर दिया गया। [illegible] वादीगण के हक व अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए [illegible] को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा। इसलिए वादीगण ने अपने अधिकारों की घोषणा करना आवश्यक हुआ।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:12:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 3 इस आशय की घोषणा फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजीयात वर्णित खाता संख्या 46 के खसरा संख्या 27 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी व खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी को वादीगण के पूर्वजों द्वारा बेचान नहीं करने के बावजूद भी शामिल करते हुये सम्पूर्ण खाते पर 1/3 का जमाबंदी सम्वत् 2035 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 03 के पूर्वज भूरा पुत्र कालू के नाम राजस्व अधिकारियों की मेहरबानी से इन्द्राज कर दिया, जो राजस्व अधिकारियों के द्वारा अहम कानूनी त्रुटि की गई है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 का राजस्व रिकॉर्ड में नाम हजफ (खत्म) किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे। जिससे वादीगण के हक व अधिकारों की राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा की जावें। वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 इस आशय की घोषणा फरमायी जावे कि राजस्व रिकॉर्ड में पुराना खसरा नंबर 27 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा किस्म बाराजी के नवीन खसरा नंबर 17 रकबा 1.14 हैक्टेयर किस्म पेटा तालाबी एवं इसी पकार पुराना खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी के नवीन खसरा नंबर 28 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म डहरी के स्थान पर किस्म बारानी सेटलमेंट पूर्व की भॉति ही किस्म बारानी का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किया वादीगण की वादग्रस्त उपरोक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी(खेवट) खतौनी 2011, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी खेवट खतौनी 2035, रजिस्ट्री दिनांक 12.01.79, नामान्तकरण संख्या 148 (15.04.79) हाल जमाबंदी, हाल नक्शा ट्रेस पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बा[illegible] अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय [illegible]ही अमल में लाई गई। [illegible]पथ पत्र पेश किया गया, वकील वादी की ओर से साक्ष्य श्री मदन [illegible] मुख्य परिक्षण कराया गया। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई।

बहस वादपत्र पर वकील एकपक्षीय सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादीगण द्वारा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:12:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वाद खाता संख्या 46 के खसरा संख्या 27 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी व खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा वादीगण के 1/3 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 03 के पूर्वज भूरा पुत्र कालू के नाम राजस्व अधिकारियों की मेहरबानी से इन्द्राज कर दिया जिसको दुरूस्त करवाकर वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की घोषणा करवाने व पुराना खसरा नंबर 27 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा किस्म बाराजी के नवीन खसरा नंबर 17 रकबा 1.14 हैक्टेयर किस्म पेटा तालाबी एवं इसी पकार पुराना खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी के नवीन खसरा नंबर 28 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म डहरी के स्थान पर पूर्व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार किस्म बारानी अंकित करवाने हेतु उक्त वाद बाबत् घोषणा व दुरूस्ती का पेश किया है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–2 जमाबंदी (खेवट खतौनी) सम्वत् 2024 से 27 खसरा नंबर 27 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी–2 व खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी–2 अंकित है व प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 27 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 17 रकबा 1.14 हैक्टेयर व साबिक खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा के नवीन खसरा नरनंबर 28 रकबा 0.50 हैक्टेयर कायम किये गए है। प्रदर्श–7 जमाबंदी संवत् 2070–2073 से स्पष्ट है कि हाल खसरा नंबर 28 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म डहरी व नवीन खसरा नंबर 17 रकबा 1.14 हैक्टेयर किस्म पेटा तालाबी अंकित है। प्रदर्श–5 नकल प्रमाणित प्रति रजिस्ट्री दिनांक 12 जनवरी 1979 से स्पष्ट है कि बालू गोपी पुत्रान् श्रीलाल द्वारा क्रेतागण श्रीभूरा पुत्र श्री कालूराम को भूमि साबिक खसरा नंबर 62, 52, 381, 382, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 401, 402, 428, 487, 488, 489, 505, 513, 514, 518, 524, 525 कुल किता 22 कुल रकबा 50 बीघा 17 बिस्वा में से हिस्सा 1/3 विक्रय किया गया था। प्रदर्श–6 नामांतकरण संख्या 148 दिनांक 20.07.1979 से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 27 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा व साबिक खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा [illegible] 1/3 हिस्सा भी भूरा पुत्र कालू के नाम अंकित कर दिया गया। वकील [illegible] द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाह वादी संख्या 6 मदनलाल पुत्र गोपी [illegible] निवासी ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ने भी न्यायालय में साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित किया है कि खाता संख्या 46 के खसरा संख्या 27 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी व खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:12:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

वादीगण के 1/3 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 03 के पूर्वज भूरा पुत्र कालू के नाम राजस्व अधिकारियों की मेहरबानी से गलत इन्द्राज व किस्म बरानी की जगह डेहरी प पेटा तालाबी गलत अंकित कर दी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 27 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा जिसके पूर्व खातेदार बालू गोपी पुत्रान् श्रीलाल थे व प्रदर्श–5 से स्पष्ट है कि पूर्व खातेदार बालू गोपी पुत्रान् श्रीलाल ने उक्त भूमि का बेचान भूरा पुत्र कालू को नही किया है लेकिन प्रदर्श–6 से स्पष्ट है कि राजस्व अधिकारियों ने साबिक खसरा नंबर 27 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा की भूमि का नामांतकरण भूरा पुत्र कालू के नाम अंकित कर दिया, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है। प्रदर्श–2 से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 27 व 26/744 की किस्म बरानी 2 थी लेकिन भू–प्रबंध विभाग ने किस्म परिवर्तन कर साबिक खसरा नंबर 27 से बने हाल खसरा नंबर में किस्म पेटा तालाबी व साबिक खसरा नंबर 26/744 से किस्म डहरी कायम कर दी जो साबिक व हाल रिकॉर्ड में भिन्नता दर्शाता है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर साबिक खसरा नंबर 27 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 17 रकबा 1.14 हैक्टेयर व साबिक खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा जिसके हाल खसर नंबर 28 रकबा 0.50 हैक्टेयर में 1/3 हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है व कर साबिक खसरा नंबर 27 से बने हाल खसरा नंबर 17 कि किस्म को पेटा तालाबी से बरानी 2 व साबिक खसरा नंबर 26/744 से बने हाल खसरा नंबर 28 में किस्म डहरी के स्थान पर बारानी 2 दुरूस्त की जाती है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल–दरामद करें। इस आश्य की डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को [illegible] जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं[illegible] कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:12:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

गलखू **बनाम** सरकार वगै.

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 92 ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/2019/12

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर साबिक खसरा नंबर 27 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 17 रकबा 1.14 हैक्टेयर व साबिक खसरा नंबर 26/744 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा जिसके हाल खसर नंबर 28 रकबा 0.50 हैक्टेयर में 1/3 हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है व कर साबिक खसरा नंबर 27 से बने हाल खसरा नंबर 17 कि किस्म को पेटा तालाबी से बरानी 2 व साबिक खसरा नंबर 26/744 से बने हाल खसरा नंबर 28 में किस्म डहरी के स्थान पर बारानी 2 दुरूस्त की जाती है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल–दरामद करें। इस आश्य की डिक्री जारी की जाती है।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत् .... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.03.2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:12:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner